चरित्र सत्यापन हेतु दिशा–निर्देश

पुलिस विभाग द्वारा शासकीय सेवा के लिए चुने गये, उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन किया जाता है। इस हेतु पूर्व में निर्देश GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH HOME DEPARTMENT (X-SECTION) के मेमोरंडम क्र.–1142–5507/1–X/61–62, क्र. –1142–5507/1–X/61–62, Dated, Bhopal, the 19 March 1962-Phalguna 28, 1883 तथा प्रारूप मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग (सी–अनुभाग) के क्रमांक एफ 17–74/2202/सी–1 भोपाल के द्वारा दिये जा चुके हैं, परंतु ऐसे कई प्रकरण संज्ञान में आए हैं, जिसमें अशासकीय सेवाओं के लिए मकान किरायेदारों या अन्य उद्देश्यों के लिये भी चरित्र प्रमाण–पत्र वांछित रहता है। यह चरित्र प्रमाण पत्र युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध हो सकता है, किन्तु यह देखने में आया है कि यह चरित्र प्रमाण–पत्र अलग–अलग प्रारूपों में व बिना किसी प्रक्रिया के पालन किये बिना लिये जाते हैं, जिससे इनकी विश्वसनीयता पर संदेह रहता है। साथ ही शरारती तत्वों द्वारा ऐसे प्रमाण–पत्रों का अनुचित लाभ उठाए जाने की भी आशंका बनी रहती है। अतः अशासकीय सेवा के चरित्र सत्यापन के प्रकरणों में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जावे :–

1/आवेदक चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप ''अ'' में तीन फोटो के साथ प्रस्तुत करेगा। यह प्रारूप सभी थानों, सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालयों व मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।

2/आवेदक की पहचान व पता स्थापित करने के लिए निम्न सूची में से कोई भी दो दस्तावेज या आधार कार्ड/पासपोर्ट/शस्त्र लाइसेंस संलग्न करना होगा।

- बैंक द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक ।
- पोस्ट आफिस द्वारा जारी किसान पास बुक ।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण–पत्र ।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र ।

- स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड ।
- संपत्ति से संबंधित पंजीकृत फोटोयुक्त दस्तावेज ।
- ग्रामीण रोजगार गारंटी योयजना के तहत प्रदाय फोटोयुक्त जॉबकार्ड ।
- निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र ।
- 10वीं अथवा 12वीं की अंकसूची जो फोटो के साथ जारी हुई हो ।

3/बीपीएल कार्डधारी आवेदक को यह प्रमाण–पत्र निःशुल्क दिया जाएगा। अन्य आवेदकों को यदि प्रकरण एक ही थाना क्षेत्र का है, तो रूपये 100/–, यदि प्रकरण एक ही जिले के एक से अधिक थाने का है, तो रूपये 200/– और यदि प्रकरण एक से अधिक जिले का है, तो रूपये 400/– का शुल्क शासकीय कोषालय के मेजर हेड–0055 में जमा करना होगा व चालान की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

4/आवेदक यदि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत एक से अधिक थाना क्षेत्रों में रहा है तो वह अपना आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जिला विशेष शाखा में प्रस्तुत करेगा। यदि आवेदक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद एक ही थाना क्षेत्र में रहा है, तो फिर वह संबंधित थाने में सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। आवेदन प्राप्त होने की पावती का प्रारूप ''ब'' है। थानों में आवेदन पत्र प्रधान आरक्षक मोहर्रिर प्रातः 10:00 बजे से 17:00 बजे के मध्य तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक निर्दिष्ट अधिकारी जो प्रधान आरक्षक से अनिम्न न हो, प्राप्त करेंगे।

5/18 वर्ष से कम आयु के आवेदक को चरित्र प्रमाण–पत्र नहीं दिया जाएगा।

6/निर्धारित प्रारूप में व आवश्यक पहचान पत्र/एड्रेस प्रूफ लेने के उपरांत थाने के जरायम रजिस्टर व वी.सी.एन.बी. का अध्ययन किया जाएगा।

7/यदि आवेदन पत्र सीधे थाने में प्राप्त होता है तो आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर चरित्र प्रमाण–पत्र प्रारूप ''स'' के अनुसार दिया जाना होगा।

8/एक से अधिक थाना क्षेत्रों में निवास करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र के प्रकरणों में यदि सभी थाना क्षेत्र एक ही जिले का है, तो 15 दिनों के भीतर चरित्र प्रमाण–पत्र प्रारूप ''स'' के अनुसार दिया जाएगा।

9/यदि आवेदक एक से अधिक थानों में रहा हो, जो विभिन्न जिलों के हो तो प्रारूप ''स'' में ही 30 दिनों के अंदर प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यदि उम्मीदवार राज्य के बाहर निवासरत् रहा हो तो उस संबंध में समयावधि निश्चित नहीं की जा सकती है।

10/अशासकीय सेवा के लिए चाहे गये चरित्र प्रमाण–पत्र लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट सेवा सूची में शामिल किये जाएंगे। अतः समय–सीमा में प्रमाण–पत्र नहीं देने की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त विभागीय कार्यवाही भी की जा सकेगी।

11/इस पूरी प्रक्रिया हेतु पुलिस विभाग एक वेब बेस्ट साफ्टवेयर प्रारंभ कर सकता है, जो इन निर्देशों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा।

12/भविष्य में सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट के उद्देश्य अनुसार सभी थानों की नेटवर्किंग होने के उपरांत जिला विशेष शाखा स्तर से ही आवेदन पत्रों का निराकरण हो सकेगा। इस हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जाएंगे।

13/अशासकीय सेवा के लिये जारी किये गये, चरित्र प्रमाण–पत्र संबंधित नस्तियां यदि किसी विवेचना/जांच अथवा न्यायालयीन प्रकरण में वांछित नहीं है, व जिनमें अनुकूल रिपोर्ट दी गई है, वे पांच वर्ष के बाद नष्ट की जा सकेंगी। प्रतिकूल टिप्पणी वाले प्रकरणों की नस्तियां दस वर्ष के उपरांत नष्ट की जायेगी।

14/थाने में व जिला विशेष शाखा में जारी किये चरित्र प्रमाण–पत्रों के संबंध में एक रजिस्टर रखा जावेगा, जो प्रारूप **''द''** अनुसार होगा।

प्रारूप “अ”

चरित्र सत्यापन हेतु आवेदन–पत्र

फोटो

चेतावनी :

1/इस आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देना अथवा जानकारी छुपना धारा 177 भादंवि के तहत दंडनीय अपराध होगा। यदि आपके विरूद्ध किसी भी प्रकार की आपराधिक प्रक्रिया प्रारंभ की गई हो तो उसका उल्लेख इस आवेदन पत्र में अवश्यक करें।

2/यदि चरित्र प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के छः माह के भीतर आपके विरूद्ध कोई भी आपराधिक प्रक्रिया प्रारंभ होना हो तो तत्काल प्रमाण–पत्र जारी करने वाले कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह माना जाएगा कि आपके द्वारा तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई है।

1	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) तथा उपनाम यदि कोई हो यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम के कुलनाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उसका उल्लेख कीजिए।	कुलनाम (सरनेम)................ नाम..	
2	वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला या घर क्रमांक, गली, मार्ग तथा नगर और राज्य, जिसमें वह स्थित हो)		
3	उन स्थानों के ब्यौरे व अवधियां जहां आप पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हो।		
4	पिता का पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो तो, पता सहित।		
5	क्या आप कभी गिरफ्तार किये गये हैं ? क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, या वर्तमान में लंबित है ? क्या आप कभी निरूद्ध किये गये हैं ? क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय		

	द्वारा दोषी ठहराए गए हैं ? यदि हां तो उसका ब्यौरा दें।		
6	आपके मौहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम, जो आपको जानते हों।		
7	क्या आपने पूर्व में चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन दिया है ?(यदि हां तो तब प्राप्त प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)		

मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास हैं, सही और पूर्ण है।

....
उम्मीदवार के हस्ताक्षर
तारीख.....................स्थान.......................

फोन नम्बर ....

निम्नलिखित सूची में से कम से कम दो दस्तावेज को संलग्न करें :–

- पासपोर्ट ।
- बैंक द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक ।
- पोस्ट आफिस द्वारा जारी किसान पास बुक ।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण–पत्र ।
- शस्त्र लायसेंस ।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र ।
- स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड ।
- संपत्ति से संबंधित पंजीकृत फोटोयुक्त दस्तावेज ।
- ग्रामीण रोजगार गारंटी योयजना के तहत प्रदाय फोटोयुक्त जॉबकार्ड ।
- निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र ।
- 10वीं अथवा 12वीं की अंकसूची जो फोटो के साथ जारी हुई हो ।

<u>प्रारूप''ब''</u>

<u>पावती</u>

आवेदक ....से चरित्र प्रमाण–पत्र हेतु एक आवेदन पत्र दिनांक ....को प्राप्त किया। आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरा गया है, तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न है। चरित्र प्रमाण–पत्र दिनांक ....को उपलब्ध कराया जाएगा।

अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम...................................
थाना.......................................

प्रारूप ''स''
(चरित्र प्रमाण– पत्र जारी दिनांक से छः माह तक वैध)

प्रमाण–पत्र क्रमांक –
थाना–

फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.. ....पिता..............................वर्तमान निवासी............................के विरूद्ध थाना ....के रिकार्ड के अनुसार कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हैं।

अथवा

आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...पिता .... निवासी के विरूद्ध थाना ....के उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपराध क्रमांक.........................दर्ज है। यह प्रकरण विवेचनाधीन/न्यायालय लंबित/दोषमुक्त/दोषसिद्ध/उन्मोचित है।

(उपरोक्त अपराध क. ....का विचारण किशोर न्यायालय में हुआ है)

नोट :– जो लागू न हो उसे काटें ।

दिनांक –

प्रभारी जिला विशेष शाखा/थाना प्रभारी
जिला –

प्रारूप ''द''

क्रमांक	आवेदक का नाम	आवेदन देने की तिथि	प्रमाण पत्र देने की तिथि	अनूकूल / प्रतिकूल	फोटो	आवेदक के हस्ताक्षर
					फोटो	